देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/29 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 5 जुलाई 2023

जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर रेगरों की ढाणी के सामने भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी गई अवैध कॉलोनी "मदन विहार" मे बनी अवैध स्कूल "शिवम पब्लिक स्कूल" का मामला!!!

भाग-3

सबसे बड़ा सवाल?जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा धारा 32,33 के नोटिस जारी करने के बाद अवैध बिल्डिंग को सील/ध्वस्त करने हेतु पत्रावली मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक को क्यूँ नहीं भेजी?

क्या मात्र चालान पेश कर देने से अवैध निर्माण वैध हो जाता है?

क्या चालान पेश करना ही अंतिम प्रक्रिया है?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर परमानन्द फार्म के आगे,रेगरों की ढाणी के सामने,बी.एन. मेमोरियल स्कूल के पीछे,भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी "मदन विहार" मे बनाई गई " शिवम पब्लिक स्कूल" का मामला?!!!

जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर परमानन्द फार्म के आगे,रेगरों की ढाणी के सामने,बी.एन. मेमोरियल स्कूल के पीछे,भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी " मदन विहार" बसाई जा रही है|जिसके तहत बिना भू-रूपांतरण करवाए,कृषि भूमि पर,रोड पर अतिक्रमण करते हुए,जीरो सेटबेक पर कुछ मकान बनाए जा रहे है|

हमारे द्वारा यह मामला JDA के संज्ञान मे लाने पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 17/05/2023 को मौका मुआयना किया गया,जिसके बाद बिना भू-रूपांतरण कृषि भूमि पर बसी इस कॉलोनी को 5-6 साल पुरानी करार देकर,बड़ी कार्यवाही होने से बचा लिया|आपको बता दें कि यदि JDA द्वारा बड़ी कार्यवाही की जाती तो करीब 3-4 बीघा पर बसाई जा रही इस अवैध कॉलोनी मे बनी सड़कों,बिजली के खंभों,मकान के ढांचों और समस्त निर्माणाधीन और निर्मित मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता,जिससे भूमाफियाओ को बड़ा सबक मिलता|

आपको बता दें कि इस प्रकरण मे संबंधित जोन अधिकारी द्वारा इस अवैध कॉलोनी मदन विहार के भूखंड संख्या 3 को धारा 32,33 के तहत नोटिस जारी किए गए,अपने नोटिसों मे अधिकारी द्वारा बताया गया कि " आप द्वारा JDA की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण करवाए,विकसित की गई ***" मदन विहार" के प्लॉट न. 3 मे करीब 38*80 फीट मे दो मंजिल आरसीसी की छत डालकर स्कूल प्रयोजनार्थ वृहद व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है|उक्त सम्पूर्ण निर्माण कृषि बिना भू-रूपांतरण करवाए वृहद व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है,जो कि अवैध है|"***

दिनांक 17/05/2023 को दिए गए इस नोटिस मे दिनांक 24/05/2023 तक अवैध निर्माण हटाने या फिर नोटिस का जवाब देने की हिदायत भी दी गई थी|लेकिन इस नोटिस का भी समबंधित अवैध निर्माणकर्ता बाबूलाल शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा है और मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रख कर,इस अवैध बिल्डिंग मे **" शिवम पब्लिक स्कूल"** खोल लिया गया|

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं. 27

कार्तिका 40

क्रमांक:ज.वि.प्रा.अ.शा./82/......2023-13

दिनांक 17/05/2023

नोटिस बनाम - (मौके पर बतानुसार)

श्री कोजू लाल शर्मा .... स्वामी/अधियोगी

पता .... रेबारियों की ढाणी, गांव - ढोली - हीरावाला

.... तह - जमवारामगढ़ जिला जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आप द्वारा ज.वि.प्रा. कि बिना अनुमती एंव स्वीकृति के कृषि भूमी का बिना भू-रुपान्तरण करवाये विकसित की गई "मदन विहार" के प्लाट नं.03 में करीब 38x80 फीट में दो मन्जिल R.C.C की छत डालकर (वामन गुड फार्म) स्कूल प्रयोजनार्थ वृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण निर्माण कृषि भूमी पर बिना भू-रुपान्तरण करवाये वृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, जो अवैध है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के ..07 (सात) दिवस......... में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 24/05/2023...... को ...10:00 Am.... बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज ..17/05/2023........ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

(ज्ञानेश कुमार सैनी)
प्रवर्तन अधिकारी, -13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अवैध निर्माणकर्ता ने जेडीए को दिखाया ठेंगा!!कृषि भूमि पर अवैध बिल्डिंग खड़ी कर,बना दी स्कूल!!जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी ने कोर्ट मे चालान पेश कर की इतिश्री!!इधर अवैध निर्माणकर्ता ने स्थानीय विधायक से कटवा लिया स्कूल का फीता!!

जेडीए द्वारा जारी किए गए धारा 32,33 का अवैध निर्माणकर्ता पर कोई असर नहीं पड़ा,उल्टा जेडीए को ठेंगा बताते हुए,इस अवैध बिल्डिंग मे " शिवम पब्लिक स्कूल" खोल ली|जब इस बात को पुनः जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी के संज्ञान मे लाया गया था तो उनके द्वारा यह जवाब देकर इतिश्री कर ली गई कि **" उनके द्वारा अवैध निर्माणकर्ता बाबू लाल शर्मा को दिनांक 17/05/2023 को धारा 32,33 का नोटिस जारी कर,जारी नोटिस का चालान माननीय न्यायालय ACJM संख्या 2 मे पेश किया जा चुका है,जो न्यायालय मे विचाराधीन है"**

4	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone) , Enforcement Officer - 13	, , ,	Partially Closed :Relief	12-Jun-2023	प्रकरण में अवैध निर्माणकर्ता श्री बाबूलाल शर्मा को दिनांक 17.05.2023 को धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया जाकर जारी नोटिस का चालान माननीय न्यायालय ए. सी. जे. एम नं. 02 जविप्रा जयपुर में किया जा चुका है। जो न्यायालय में विचारधीन है।

इधर अवैध निर्माणकर्ता बाबू लाल शर्मा द्वारा भी इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण कर,दिनांक 02/07/2023 को इस अवैध बिल्डिंग मे संचालित होने वाली स्कूल " शिवम पब्लिक स्कूल" का फीता स्थानीय विधायक गोपाल मीणा और अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों से कटवा कर,एक तरह से जेडीए की फजीहत ही कर दी|

प्रिय ग्रामवासियों और अभिभावकों को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि
शिवम पब्लिक स्कूल
(हीरावाला, मावरी की टाल के पीछे)
का भव्य शुभारम्भ दिनांक 2 जुलाई 2023 (प्रातः 10:15)
माननीय विधायक महोदय
श्री गोपाल लाल जी मीणा के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।
गरिमामय उपस्थिति श्रीमान एडवोकेट रामफूल जी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति (जमवारामगढ़) उप प्रधान श्रीमती विमला देवी जी रूपवास ग्रामपंचायत के सरपंच श्री ताराचंद जी मीणा लाली ग्रामपंचायत की सरपंच श्रीमती अभिलाषा जी पारीक सभी ग्रामवासियों से हार्दिक निवेदन है कि इस भव्य शुभारम्भ में पधारकर समारोह कि शोभा बढ़ावें !
Contest - B.L Sharma Mob. 9928266021, 6376777014

सबसे बड़ा सवाल?जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा धारा 32,33 के नोटिस जारी करने के बाद अवैध बिल्डिंग को सील/ध्वस्त करने हेतु पत्रावली मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक को क्यूँ नहीं भेजी?

JDA प्रवर्तन के इस ढुल-मुल रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे है?सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या JDA प्रवर्तन का काम महज धारा 32,33 के नोटिस जारी कर,उनका चालान स्थानीय कोर्ट मे पेश करने भर का है?आखिर क्यूँ उनके द्वारा कृषि भूमि पर बिना भू-रूपांतरण करवाए बन गई अवैध बिल्डिंग को सील/ध्वस्त करने के लिए पत्रावली को JDA के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय के पास नहीं भेजी?क्या मात्र चालान पेश कर देने से अवैध निर्माण वैध हो जाता है?क्या चालान पेश करना ही अंतिम प्रक्रिया है?आखिर क्यूँ संबंधित जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस अवैध कॉलोनी " मदन विहार" को 5-6 साल पुराना बताया गया?क्या गूगल मैप प्रवर्तन अधिकारी के इस दावे की पोल नहीं खोल देगा?